



RECOVERY DEPARTMENT ,REGIONAL OFFICE ,HOUSE NO 432, A.P.COLONY ,GAYA ,823001

APPENDIX-IV-A
[Refer Provision to 8(6) & rule 9(1)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties were mortgaged/charged to the **Central Bank of India, Sasaram Branch**, Secured Creditor, the **Symbolic possession** of which has been taken by the Authorised Officer of **Central Bank of India**, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, condition on **16/03/2026** between **11:00 AM to 05:00 PM**, for the recovery of sum of **Rs. 64,19,219/- (Rupees Sixty Four Lakh Nineteen Thousand Two Hundred Nineteen only)** and interest & other charges as on **21/07/2025** and further interest there on from **22/07/2025** and other expenses thereon due to the secured creditor **Central Bank of India, Sasaram Branch** from the **Borrowers 1. M/s Hanuman Mini Rice Mill Prop. Mr. Lal Babu Pandey 2. Mr. Lal Babu Pandey S/o Mr. Jairam Pandey Vill-Delhua, Post: Badki Kharari Police Station-Kargahar District: Rohtas, Bihar 821113.& Guarantor 1.Mr. Ravindra Pandey S/o Mr. jairam Pandey Vill Delhua,PO-Badki Kharari PS-Kargahar,Dist Rohtas ,Bihar-821113.**

The Reserve Price will be **Rs. 48,01,500/- (Rupees Forty Eight Lakh One Thousand Five Hundred Only)**; The Earnest Money Deposit will be **Rs. 4,80,150/- (Rupees Four Lakh Eighty Thousand One Hundred Fifty only)** & Bid increment amount **Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)**.

Date and time of Auction: **Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.**

Mode of Auction: E-Auction <https://centralbankofindia.co.in/> or visit <https://ebkray.in/> and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of Property (Land & Building) in the name of Mr. Lal Babu Pandey S/o Mr. Jairam Pandey & Mr. Ravindra Pandey S/o Mr. Jairam Pandey

Details/Description of the property/ies:

<u>Sale Deed No.</u>	<u>Area</u>	<u>Location</u>	<u>Property details</u>	<u>Boundary As Per Sale Deed</u>
Deed No-4181 Dated- 19/03/2013	38 Decimal	Mauza-Sakroly P.S-Karahagar Dist-Rohtas	Khata No.-21 Plot No-92 Thana No-382, Halka No.-12	North-: Rajmuni Rai South-:Jamuna Devi & Ajay Rai East-: Nand Kishor Rai & Others West-: Karaha

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's website i.e. <https://www.centralbankofindia.co.in> and service provider's website <https://ebkray.in>

Date: 06/02/2026
Place: Gaya

For Central Bank of India
Authorised Officer
Central Bank of India

ने चलाया

होने वाली लिए पुलिस बान चलाई। नी चौक पर वाले लोगों का। मामले का नीतीश ली पर्व को की सीमा वाहनों को गया। देने वाली के लिए

शाहाबाद को प्रमंडल का दर्जा देना होगा: अखिलेश

भास्कर न्यूज़ | बिक्रमगंज

आजादी के बाद बिहार में जिसकी भी सरकारें बनी, किसी ने शाहाबाद प्रक्षेत्र के साथ इंसफ नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि इस प्रक्षेत्र को कमिश्नरी का दर्जा देते हुए न्याय किया जाए। उक्त बातें शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने सोमवार को यहां समाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मापदंड को पूरा करने के बावजूद शाहाबाद प्रक्षेत्र को

अभी तक प्रमंडल का दर्जा नहीं मिला। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको लेकर शाहाबाद महोत्सव आयोजन समिति ने अभिनय व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि सरकार करीब सवा करोड़ आबादी के भावनाओं का ख्याल रखते हुए न्याय करे। प्रथम चरण में बिहार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा शाहाबाद के सभी विधानसभा एवं विधानसभा परिषद सदस्यों को पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आजादी के दौरान वर्तमान बिहार में कुल 11 जिला था, जिसमें 9 जिला

प्रमंडल बन चुका है। जबकि शाहाबाद को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के भगलपुर और कोसी इन दोनों प्रमंडलों से अधिक आबादी तथा क्षेत्रफल अकेले शाहाबाद है। अखिलेश कुमार ने कहा कि यहां का बोलचाल भाषा और खान-पान पटना प्रमुख के शेष भाग पटना नालंदा से अलग है। वहीं नौहट्टा, अधौर, चैनपुर, चांद जैसे क्षेत्र के लोगों वर्तमान प्रमंडल मुख्यालय पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर तक दूरी तय करने को मजबूर होना पड़ता है।

विशेष सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

तिलौथू में भाकपा माले ने दिया धरना



तिलौथू | अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य कमेटी के आह्वान राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अंचल मुख्यालय तिलौथू में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के तिलौथू प्रखंड अध्यक्ष ने की। धरने को संबोधित करते हुए भाकपा-माले के जिला सचिव रविशंकर राम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कॉरपोरेट के पक्ष में किसान-मजदूर विरोधी कानून बनाकर उन गुलाम बनाना चाहती हैं। इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल के माध्यम से सरकारों को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा।

च

लाओं व स्वास्थ्य लेने के दी गयी। सब्जियां, तौर से के लिए प्रभारी मुकेश जोखिम गों को सलाह हट्टा में गर्भवती

बिजली चोरी को लेकर तीन पर प्राथमिकी

कोचस | विद्युत विभाग ने मीटर बाइपास कर विद्युत उपयोग करने के मामले में तीन उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ अमन कुमार ने बताया कि जेई राहुल रंजन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में तीन उपभोक्ताओं को टोका फंसाकर विद्युत का उपयोग करने पाया गया है। लाल मोहर चौहान, गांव नौवा 12516 रूपए, मुन्नी देवी उसरवा 9940 रूपए, द्वारिका सिंह 65445 रूपए के साथ तीनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

किसानों का एक दिवसीय धरना, 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा

भास्कर न्यूज़ | बिक्रमगंज सदर

अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर रविवार को बिक्रमगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में किसानों ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना दिया। धरना की अध्यक्षता अशोक पासवान ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, मजदूर एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केन्द्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारें लगातार किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित में बने कानूनों को बदलकर कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में

नीतियां बना रही हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले काले कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की गई और अब वीबी ग्राम जी वीबी ग्राम जी योजना के जरिए मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। श्रम कानूनों को समेटकर चार कानूनों में बदलने को मजदूर विरोधी कदम बताया गया। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि भूमि अधिग्रहण कानून, खाद्य सुरक्षा और किसान सम्मान निधि में संशोधन कर आम लोगों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। सरकारी पूंजी निवेश घटने से खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, जिससे किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

सरकारी अधिवक्ता बने विनोद मिश्र, किए गए सम्मानित

सासाराम | सिविल कोर्ट सासाराम के वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के सरकारी अधिवक्ता (जीपी) के रूप में चयन होने पर मंडल कारा सासाराम में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जेल अधीक्षक मंडल कारा सुजीत कुमार राय ने अधिवक्ता विनोद मिश्र को शॉल, माला एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि जीवन में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा अपने भीतर सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए और यह जरूर सोचना चाहिए कि हमने अपने लिए और दूसरों के लिए क्या किया।

अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना

दावथ | अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा सोमवार को दावथ प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने में किसानों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कदवन जलाशय, स्मार्ट बिजली मीटर, नहरों का जिपोधार, एमएसपी व मंडी कानून लागू करने सहित 12 सूत्री मांगें शामिल थीं। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार किसानों और गरीबों की विरोधी है, जबकि कॉरपोरेट घरानों को मददगार है।

तियों की बड़ी भूमिका

के का संकल्प

पहला जिला रोहतास बने। सुराज का विधिक सेवा प्राधिकार, महिला एवं बाल विकास निगम, रोहतास के साथ समन्वित और सहयोगात्मक क्रियशीलन लक्ष्य की प्राप्ति को उल्लेखित करेगा। भूमि, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली राशन, आवास, पेंशन, श्रीमा, बैंक, वाहन मुआवजा आदि की लोकोपयोगी योजनाओं के साथ लिंकेज और समाधान में स्थायी लोक अदालत की सहायता भूमिका और अधिकारों के प्रति जन जानकारी भी बाल विवाह रोकने में कारगर भूमिका निभा सकती है। इसलिए लोगों द्वारा स्थायी लोक अदालत की भी सहायता ली जायेगी। वंचित परिवार द्वारा स्थायी लोक अदालत में बिना किसी वकील के अपनी बात एक साधारण आवेदन के द्वारा देकर लाभ लिया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आभूत दिन के तहत "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गकान संख्या-432, ए.पी. कॉलोनी, गया-823001
परिशिष्ट-IV-क [परन्तुक 8(6) एवं नियम 9(1) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) 1. मेसर्स हनुमान मिनी राइस मिल प्रो. श्री लाल बाबू पांडेय 2. श्री लाल बाबू पांडेय पिता श्री जयराम पांडेय ग्राम- देल्हुआ, पोस्ट: बड़की खररी, थाना-कराहर जिला: रोहतास, बिहार 821113. एवं गारंटर 1. श्री रवीन्द्र पांडेय पिता श्री जयराम पांडेय ग्राम देल्हुआ, पोस्ट-बड़की खररी, थाना-कराहर, जिला रोहतास, बिहार-821113 को सूचित किया जाता है कि निचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सासाराम शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, निचे उल्लेखित सुरक्षित लेनदार, उधारकर्ता एवं जमानतदारों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सासाराम शाखा द्वारा बकाया राशि रु.64,19,219/- (रुपये चौंसठ लाख उन्नीस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) दिनांक 21.07.2025 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क एवं दिनांक 22.07.2025 से आगे का ब्याज एवं उस पर अन्य खर्च की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 16.03.2026 को बेची जाएगी।

आरक्षित मूल्य: रु.48,01,500/- (रुपये अड़तालीस लाख एक हजार पांच सौ मात्र); अग्रधन जमा: रु.4,80,150/- (रुपये चार लाख अस्सी हजार एक सौ पचास मात्र), बोली वृद्धि राशि: रु. 50000/- (पचास हजार रुपये मात्र)।

नीलामी की तिथि एवं समय: 16.03.2026, समय सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।

नीलामी का मोड: ई-नीलामी <https://centralbankofindia.co.in/> या <https://ebkray.in/> पर जाएं और या वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया (मोबाइल: 6398948203) से संपर्क करें।

श्री लाल बाबू पांडेय पिता श्री जयराम पांडेय एवं श्री रविंद्र पांडेय पिता श्री जयराम पांडेय के नाम पर स्थित संपत्ति (भूमि एवं भवन) का वह समस्त हिस्सा।

संपत्ति/संपत्तियों का विवरण/विवरण:-

सेल डीड संख्या	क्षेत्रफल	स्थान	सम्पत्ति का विवरण	सेल डीड के अनुसार चौहद्दी
डीड संख्या-4181 दिनांक-19/03/2013	38 डेसिमल	मौजा-सकरौली, थाना-कराहर, जिला-रोहतास	खाता संख्या-21, प्लॉट संख्या-92 थाना संख्या-382, हल्का संख्या-12	उत्तर:- राजमुनि राय, दक्षिण:-जमुना देवी एवं अजय राय पूर्व:- नंद किशोर राय एवं अन्य, पश्चिम:- कराहा

विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिस्कोई क्रेडिट की वेबसाइट यानी <https://www.centralbankofindia.co.in> एवं सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://ebkray.in> पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक: 06.02.2026

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India, Jamalpur Branch from the Borrowers 1. Mrs. Urmila Devi W/o Mr. Ramavtar Paswan 2. Mr. Chandan Kumar S/o Mr. Ramotar Paswan, Near Durga Sthan Nayagaon, P.O-Jamalpur, P.S-Jamalpur, District: Munger Bihar 811214 & Guarantor 1. Mr. Naresh Kumar, S/o Mr. Mahendra Ray, Near Kamela Chandi Asthan Road, Gumti No.02, Munger, Dist-Munger

The Reserve Price will be Rs.14,68,000/- (Rupees Fourteen Lakh Sixty Eight Thousand Only); The Earnest Money Deposit will be Rs.1,46,800/- (Rupees One Lakh Forty Six Thousand Eight Hundred only) & Bid increment amount Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only).

Date and time of Auction: Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.

Mode of Auction: E-Auction <https://centralbankofindia.co.in/> or visit ebkgray.in/ and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of Property(Land & Building) in the name of Mrs.Urmila Devi,W/O Mr. Ramavtar Paswan

Details/Description of the property/ies

Deed No.	Area	Location	Property Details	Boundary
Deed No-3873 Dt 18/12/2019	1.5625 Decimal	Mauza-Keshopur, Tauzi no 5079, Khata No 68, P.S-Jamalpur, District- Munger	Khata No. 68, Plot No. 309 Jamabandi-22, Thana no. 196	North:- Ramesh Gupta, South:- Middle School Keshopur East:- Bhotri Das, West:- Kachi Rasta

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's website i.e. <https://www.centralbankofindia.co.in> and service provider's website <https://ebkgray.in>

Date : 06-02-2026

Place : Gaya

Authorised officer
CENTRAL BANK OF INDIA



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपकी लिए "सेंट्रल" TO YOU SINCE 1911

RECOVERY DEPARTMENT, REGIONAL OFFICE, HOUSE NO.-432, A.P COLONY, GAYA-823001

APPENDIX-IV-A [Refer Provision to 8(6) & Rule 9 (1)]

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties were mortgaged/charged to the Central Bank of India, Sasaram Branch, Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Central Bank of India, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, condition on 16/03/2026 between 11:00 AM to 05:00 PM, for the recovery of sum of Rs. 64,19,219/- (Rupees Sixty Four Lakh Nineteen Thousand Two Hundred Nineteen only) and interest & other charges as on 21/07/2025 and further interest there on from 22/07/2025 and other expenses thereon due to the secured creditor Central Bank of India, Sasaram Branch from the Borrowers 1. M/s Hanuman Mini Rice Mill Prop. Mr. Lal Babu Pandey 2. Mr. Lal Babu Pandey S/o Mr. Jalram Pandey Vill-Delhua, Post: Badki Kharari Police Station-Kargahar District: Rohtas, Bihar 821113.& Guarantor 1.Mr. Ravindra Pandey S/o Mr. jairam Pandey VIII Delhua, PO-Badki Kharari PS-Kargahar, Dist Rohtas ,Bihar-821113.

The Reserve Price will be Rs. 48,01,500/- (Rupees Forty Eight Lakh One Thousand Five Hundred Only); The Earnest Money Deposit will be Rs. 4,80,150/- (Rupees Four Lakh Eighty Thousand One Hundred Fifty only) & Bid increment amount Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only).

Date and time of Auction: Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.

Mode of Auction: E-Auction <https://centralbankofindia.co.in/> or visit ebkgray.in/ and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of Property (Land & Building) in the name of Mr. Lal Babu Pandey S/o Mr. Jalram Pandey & Mr. Ravindra Pandey S/o Mr. Jalram Pandey

Details/Description of the property/ies:

Sale Deed No.	Area	Location	Property Details	Boundary
Deed No-4181 Dated-19/03/2013	38 Decimal	Mauza-Sakroly P.S-Karahagar, Dist-Rohtas	Khata No.-21, Plot No-92 Thana No-382, Halka No.-12	North:- Rajmuni Rai, South:-Jamuna Devi & Ajay Rai, East:- Nand Kishor Rai & Others, West:- Karaha

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's website i.e. <https://www.centralbankofindia.co.in> and service provider's website <https://ebkgray.in>

Date : 06-02-2026
Place : Gaya

Authorised officer
CENTRAL BANK OF INDIA